भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्य म उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या791

उत्तार देने की तारीख : 21.11.2019

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमियोंके लिए योजनाएं

791. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गरीब और मध्यम वर्ग के सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए उपलब्ध योजनाओंका ब्यौरा क्या है

(ख) देश में ऐसे कुल कितने उद्यमी कार्यकर रहे है तथा इनमें से गरीब और मध्यम वर्गके उद्यमियों का ब्यौरा और संख्या कितनी है

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों द्वारा किया जा रहा कुल कारोबार कितना है तथा इनका देश के सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है और

(घ) गरीब और मध्यम वर्गों के सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमियों द्वारा कुल कितना कारोबारकिया गया?

उत्तघर

सूक्ष्मलघु और मध्यऔम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म्, लघु और मध्य्म उद्यमों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करता है:

I. गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।

II. सूक्ष्म, और लघु उद्यम- कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)।

III. आकांक्षी समुदायों और क्षेत्रों के लिए इंटरवेंशन: अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब् पूर्वोतर क्षेत्र और सिक्किम इत्यादि में एमएसएमई के संवर्धन के लिए योजना।

IV. कुशल जनशक्ति, उन्न्त प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सलाहकार सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर एमएसएमई के सहयोग के लिए टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी)।

V. पर्यावरण-अनुकूल और प्रौद्योगिकी आधारित विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए मिशन सौर चरखा।

VI. कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना।

VII. एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए खरीद और विपणन सहायता योजना। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू को एमएसई से 25% की खरीद करना अनिवार्य है। एमएसई से 25% की अनिवार्य खरीद में से 3% महिला उदयिमयों के स्वामित्व वाले उद्यमों से करने के लिए आरक्षित किया गया है।

VIII. भावी उद्यमियों, मौजूदा कार्यबल के कौशल को उन्न्त करने और साथ ही एमएसई के नए कामगारों और तकनीशियनों के कौशल को विकसित करने के लिए उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)।

IX. एमएसई को कोलेटरल मुक्त ऋण में सहयोग करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना।

X. नए और वृद्धिपरक ऋणों पर सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए ब्याज में 2% की छूट।

XI. विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की सहायता के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम।

(ख) से (घ) : 15.11.2019 की स्थिति के अनुसार देश में उद्योग आधार पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्मलघु और मध्यम उद्यमों की कुल संख्या क्रमश: 70.61 लाख, 8.70 लाख और 0.34 लाख है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का हिस्सा 29.7% था।

*****